

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/आरपीएससी-10/2011/

दिनांक:

-आदेश-

निदेशालय के आदेश संख्या ई-11/नर्स-2/आरपीएससी-10/2011/353 दिनांक 18.05.

2011 में सहवन से माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 10866/10 एवं 791/2011 में पारित निर्णय दिनांक 17.5.2011 के स्थान पर 17.5.2010 टंकित हो गया था। जिसे 17.5.2011 पढा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/आरपीएससी-10/2011/356.

दिनांक: 20-05-2011

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त जिला कलेक्टर
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
9. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
13. निदेशक, (जन स्वास्थ्य / (परिवार कल्याण) / एड्स), मुख्यालय।
14. महानिदेशक, कारागार राजस्थान जयपुर।
15. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
16. श्री एस.एन. कुमावत, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर
17. श्री यशपाल खिलेरी, राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
18. समस्त संबंधित अधिकारी
19. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-
20. संबंधित पुलिस अधीक्षक।
21. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
22. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
23. संबंधित अभ्यर्थी।
24. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस आदेश की प्रति को विभागीय वेब साईट पर डाउनलोड करें।
25. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

20/5/2011